न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-42RAAJodhpur2024-18RTA223 Daluram Vs State of Rajashan

डालूराम पुत्र श्री प्रभूराम, जाति भाट, निवासी- पाबूपुरा भाटान्, तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय दिनांक 11 अप्रैल 2023 सहायक कलक्टर (दक्षिण) जोधपुर राजस्व मूल वाद संख्या 215/2021 डालूराम बनाम राज्य सरकार

उपस्थित-

श्री एस.एल. सॉंखला, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो.

नि र्ण य

दिनांक : 23 दिसंबर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर (दक्षिण) जोधपुर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 215/2021 अनवान डालूराम बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 अप्रैल 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 15 फरवरी 2024 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1523, 1495, 1522, 1537, 1493 व 1496 ग्राम पाबुपुरा भाटान् के संबंध में धारा 88,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

92-ए एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट का वादग्रस्त आराजी में पर वक्त सेटलमेंट पूर्व से कब्जा काश्त है। उस समय सेटलमेंट कर्मचारियों की भूल से वादग्रस्त खसरान् की उक्त भूमियों में वादी व उसके पूर्वजों का नाम खातेदारी में दर्ज होने से रह गया। इसलिए वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी प्रदान की जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11 अप्रैल 2023 के जरिये वाद खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वक्त सेटलमेंट से ही अपीलांट के पूर्वजों एवं अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। विचारण न्यायालय ने वादी की ओर से प्रदर्शित करवाये गये दस्तावेजों का इन्टरप्रटेशन सही ढंग से नहीं कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है। अपीलांट द्वारा अपने दावे के साथ जमाबांदी परिवर्तनशील, खसरा परिवर्तनशील, रिकॉर्ड, ढालबांछ एवं बिगोड़ी रसीदे प्रस्तुत की थी, जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिले खारिज है। विचारण न्यायालय द्वारा विरचित विवाघक संख्या तीन प्रतिवादी के जिम्मे रखा गया था, जिसे साबित करने के लिए प्रतिवादी ने न तो कोई साक्ष्य पेश किये तथा न ही वादी से जिरह की और न ही अपने साक्ष्य प्रदर्शित करवाये, फिर भी विचारण न्यायालय ने इस तनकी को प्रतिवादी के पक्ष में साबित मानते हुए विधि-विरुद्ध आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी वृद्ध एवं अनपढ व्यक्ति है एवं गांव में रहता है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की उसे समय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पर जानकारी नहीं हो सकी। हाल ही में जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा जानकारी से अंदर म्याद हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट को अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को माफ किया जाकर गुणावगुण पर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन निर्णय को खारिज फरमाया जावे एवं वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात गैर मुमकिन किस्म की भूमि है तथा प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने से अपीलांट को आंवटन नहीं किया जा सकता है। वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में रेस्पो. के नाम दर्ज है। अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर निरंतर कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रतिकूल कब्जा के आधार पर अपीलांट को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रश्न है, माननीय राजस्व मण्डल, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित निर्णय नजीरों में मामले के तकनीकी आधार की बजाय गुणावगुण पर निस्तारित किये जाने के सिद्धांत पारित किये गये है। लिहाजा मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख जमाबंदी परिवर्तनशील ग्राम भटिण्डा, खसरा परिवर्तनशील संवतः 2062, 2064, 2065 ग्राम पाबुपुरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भाटान् के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1523 व 1524 पर भिन्न-भिन्न समय अपीलांट का कब्जा काश्त दर्शाया गया है। नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अपीलांट के विरुद्ध समय-समय पर कार्यवाही किये जाने पर उसकी ओर से लगान अदा किया जाना साबित है।

विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को प्रदर्शित किये बिना, उन दस्तावेजात पर गौर किये बिना तथा मौके की वस्तुस्थिति तलब किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने पाये जाते हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नही पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (दक्षिण) जोधपुर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 215/2021 अनवान डालूराम बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 अप्रैल 2023 खारिज किये जाते है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रस्तुत साक्ष्यो को प्रदर्शित करते हुए मौके की वस्तुस्थिति रेकर्ड पर लेकर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे। तब तक रेस्पो. विधिक उपचारों के तहत अपीलांट के विरुद्ध कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। तृतीय पक्ष अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलंदाजी पैदा नहीं करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
जोधपुर